राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 3( )जॉच / पराविं / 06 / 2093 जयपुर दिनांक 6 जुलाई, 2006

संभागीय आयुक्त,
(समस्त)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी /
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
(समस्त)

::परिपत्र::

इस विभाग को समय–समय पर माननीय मुख्यमंत्री / पंचायती राज मंत्री / राज्य मंत्री, कार्यालय से इस तरह के परिवाद प्राप्त होते हैं जिन पर आप द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना वांछनीय होता है। ऐसे पत्रों की छाया प्रतिया इस विभाग द्वारा आपको भिजवाई जाकर उन पत्रों पर कार्यवाही कर परिवादी को सूचित करते हुऐ इस विभाग को भी अवगत करवाये जाने हेतु आपको लिखा जाता है। इन पत्रों में प्राप्त परिवाद का निस्तारण करने की तिथि भी अंकित होती है। उक्त नियत तिथि तक आपके कार्यालय से सूचना प्राप्त न होने की दशा में विभाग द्वारा स्मरण पत्र भी प्रेषित किये जाते हैं।

हाल ही में विभाग के ध्यान में आया है कि ऐसे प्रकरणों में स्मरण पत्र प्रेषित किये जाने पर आपके कार्यालय से इस विभाग से पत्राचार कर, यह जानकारी चाही जाती है कि पूर्व में प्रेषित किये गये मूल पत्र का विवरण भी भिजवाया जावें। विभाग द्वारा भेजे जाने वाले स्मरण पत्रों के साथ पूर्व में प्रेषित मूल पत्र का पूर्ण विवरण भिजवाया जाना न तो सम्भव है न ही प्रासंगिक।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप विभाग द्वारा भेजे गये ऐसे परिवादों को प्राप्त होते ही स्वयं के कम्प्यूटर में दर्ज कर लेवे तो आप मूल पत्र को तत्काल देखकर परिवाद का निस्तारण कर सके। यहा यह उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा प्रेषित किये जाने वाले स्मरण पत्रों में पूर्व में प्रेषित किये गये परिवाद के सम्बन्ध में मात्र परिवादी का नाम, पता तथा परिवाद के निस्तारण किये जाने की मूल पत्र में अंकित तिथि का ही उल्लेख किया जावेगा। अतः यह आवश्यक है कि आप विभाग से प्राप्त होने वाले प्रत्येक मूल परिवाद को कम्प्यूटर / रजिस्टर में आवश्यक रूप से दर्ज कर लेवें।

(खेमराज)
शासन सचिव एवम् आयुक्त